न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 28/2022 **दायर दिनांकः 18/11/2022**

उनवान

1. लाड कॅवर आयु 56 वर्ष पुत्री स्व. हरिबल्लभ जाति लोहार निवासी अटरू हाल मुकाम सूर्य नगर कंसुवा कोटा जिला कोटा (राज.)।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट.

उपस्थित :–
प्रार्थीया :–विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर।

आदेश **दिनाकः 12/01/2023**

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थीया उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि कि प्रार्थिया के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल अटरू तहसील अटरू में खाता संख्या 497 के खसरा न. 1003 का रकबा 0.59 है., खसरा न. 1177 का रकबा 0. 06 है., खसरा न. 1179/1888 का रकबा 0.07 है., खसरा न. 1186 का रकबा 0.01 है., ख0 न. 590 का रकबा 0.89 है., खसरा न. 591 का रकबा 0.05 है. किता 6 का रकबा 1.67 है. आराजी में हिस्सा 1/8 दर्ज खाता चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थिया का नाम प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में सहवन से लाड बाई नाम अंकित हो गया है। जो कि गलत है। प्रार्थिया का सही नाम लाड कँवर है। प्रार्थिया के पेन कार्ड, राशन कार्ड, व आधार कार्ड, बैंक डायरी, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजो में भी लाड कॅवर नाम ही दर्ज है। उक्त दस्तावेज व सरपंच ग्राम पंचायत अटरू पं.स. अटरू द्वारा जारी

हरिबल्लभ का वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 03/02/2014 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थिया राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त करवा कर प्रार्थिया का नाम लाड बाई के स्थान पर लाड कॅवर दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थिया का नाम लाड बाई कर देने से प्रार्थिया को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थिया का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नहीं कर पा रही है। प्रार्थिया ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थिया व आराजी ग्राम अटरू तह. अटरू जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम अटरू में स्थित खाता संख्या 497 की कुल किता 6 का रकबा 1.67 है. हिस्सा 1/8 में प्रार्थिया का नाम लाड कॅवर दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

3. साक्ष्यप्रार्थी के तहत pw 1 लाड़ कॅवर पुत्री स्व. हरिबल्लभ जाति लोहार निवासी अटरू हाल मुकाम सूर्य नगर कंसुवा कोटा जिला कोटा (राज.) का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यप्रार्थी ने सशपथ बयान किया कि मेरे शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल अटरू तहसील अटरू में खाता संख्या 497 के खसरा न. 1003 का रकबा 0.59 है., खसरा न. 1177 का रकबा 0.06 है., खसरा न. 1179/1888 का रकबा 0.07 है., खसरा न. 1186 का रकबा 0.01 है., खसरा न. 590 का रकबा 0.89 है., खसरा न. 591 का रकबा 0.05 है. कुल किता 6 का रकबा 1.67 है. आराजी में हिस्सा 1/8 दर्ज खाता चली आ रही है। मेरा नाम शपथ पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में सहवन से लाड बाई अंकित हो गया है। जो कि गलत है क्योंकि मेरा सही नाम लाड कँवर है। मेरे पेन कार्ड, राशन कार्ड, व आधार कार्ड, बैंक डायरी, जन

आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजो में भी लाड कॅवर नाम ही दर्ज है। उक्त दस्तावेज व सरपंच ग्राम पंचायत अटरू पं. स. अटरू द्वारा जारी हरिबल्लभ का वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 03/02/2014 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर दिया है । मैं राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त करवा कर मेरा नाम लाड बाई के स्थान पर लाड कँवर दर्ज करवाने की अधिकारिणी हूँ ।

4. अभिभाषक प्रार्थिया की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम अटरू में स्थित खाता संख्या 497 की कुल किता 6 का रकबा 1.67 है. हिस्सा 1/8 में प्रार्थिया का नाम लाड बाई के स्थान पर लाड कॅवर दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

5. अभिभाषक प्रार्थिया की बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थिया की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम अटरू की प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 497 की किता 6 का कुल रकबा 1.67 है0 आराजी में लाडबाई पुत्री हरिवल्लभ का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है जिसमें प्रार्थिया का 1/8 हिस्सा दर्ज है।

प्रस्तुत अन्य दस्तावेज आधार कार्ड में प्रार्थिया का नाम लाड कंवर पत्नी नन्द बिहारी, भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता पहचान पत्र में लाड कवंर पत्नी नन्द बिहारी, जन आधार कार्ड में लाड कंवर, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंण्डिया की बैंक पास बुक में लाड कंवर पत्नी नन्द बिहारी, राशन कार्ड में लाड कंवर, आयकर विभाग का पेन कार्ड में लाड कंवर दर्ज है। उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिया का सही नाम लाड कंवर है। ग्राम पंचायत अटरू द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 03.02.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि हरिबल्लभ पुत्र छगनलाल जाति लुहार के 8 कानूनी वारिसान है जिसमें लाड कंवर भी एक कानूनी वारिस है। अतः उपरोक्त विवादित आराजी में प्रार्थिया का सही नाम लाड कंवर दर्ज करना उचित होगा।

6. उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम अटरू की विवादित आराजी खाता संख्या 497 के ख0नं0 1003 रकबा 0.59 है0, ख0नं0 1177 की 0.06 है0, ख0नं0 1179/1888 की 0.07 है0, ख0नं0 1186 की 0.01 है0, ख0नं0 590 की 0.89 है0, ख0नं0 591 की 0.05 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.67 है0 में सहखातेदार लाडबाई पुत्री हरिवल्लभ के स्थान पर लाड कंवर पुत्री हरिवल्लभ दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां